

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016—चैत्र 10, शक 1938

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

एम.डी./एम.एस (आयुर्वेद)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2016

क्रमांक एफ - 1-3/2016/1/59 : राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में आयुर्वेद महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस, (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्,

नियम

1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

1- इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश आयुर्वेद चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम-2016," है ।

2- ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2- परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय,

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा,

(ग) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित या संविदा के आधार पर सेवा कर रहे हों,

(घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग

(च) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगर निगम क्षेत्र तथा नगर-पालिका परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां,

(झ) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है,

(त्र) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार,

(ट) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है जनजाति उपयोजना के अधीन क्षेत्र,

(ठ) "सी.सी.आई.एम." से अभिप्रेत है सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ।

3 - सामान्य -

1 - स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.आई.एम./ विश्वविद्यालय/राज्य सरकार /भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में

किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।

2 - प्रवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3 - जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

4 - यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं और/या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा।

5 - सेवारत अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुसंशित किये गये हों, परीक्षा तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माने जायेंगे तथा पैतृक विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महँगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे।

6-प्रत्येक अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई परीक्षा फीस जमा करनी होगी।

4 - (1) छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीदवार भी सम्मिलित है) -

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),

(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(2) छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

5 - दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है।

6 - परीक्षा, एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियत किए गए केन्द्र पर होगी। एक बार आवंटित हो जाने पर केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी, एम.पी. ऑनलाईन के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा, जिसका पालन न करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

7 - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट्स पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा/काउंसिलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष विभाग की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी।

8- सेवारत अभ्यर्थी (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी)

- 8.1 केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2016 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जो मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत नियमित अथवा संविदा सेवा में कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- 8.2 नियमित एवं संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त डिग्री हेतु 05 वर्ष की सेवा विभाग में देने हेतु 10.00 लाख (दस लाख) रूपये बॉण्ड का निष्पादन करना होगा।
- 8.3 राज्य शासन के विभाग द्वारा स्पान्सर किये गये नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को स्पान्सरकर्ता मूल विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जायेगा। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को वेतन प्रदायगी की पात्रता नहीं होगी। यह स्पान्सरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिये देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा।
- 8.4 03 वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना उस स्थिति में नहीं की जावे, जब अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/कोई डाईजनों अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुट्टी पर रहा है।
- 8.5 सेवारत पुरुष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु-सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 50 वर्ष होगी।
- 8.6 सेवारत अभ्यर्थियों के लिये 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी।

9 - आरक्षण -

- 9.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे।
 - (1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) - सह - विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।
 - (2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा।
 - (3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है। पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे।
- उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

“इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करने होंगे। विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी। काउंसिलिंग के समय दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विकलांगता के संबंध में बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग श्रेणी में पात्रता नहीं होगी।”

- (1) हाथ/हाथों से विकलांग
- (2) दृष्टि से विकलांग
- (3) बहरापन
- (4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

9.2 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन –

यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी—

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
 - (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
 - (घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जायेगी।
- नोट – यह व्यवस्था सम्बन्धित संवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी।
- (च) योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर गैर सेवारत अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी।

9.3 यदि किसी प्रवर्ग में विकलांग (एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों को उपलब्ध कराते हुए भरी जावेगी जैसा नियम 9.2 में है।

10 – फीस संरचना –

प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित (शासकीय स्वशासी संस्था हेतु) तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित (निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु) शुल्क देय होगा।

11 – फीस वापसी –

पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय – सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेश लेने वाले छात्रों पर

समान रूप से लागू होगी।

12 – प्रतिभूति निक्षेप –

(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रूपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संचालक, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा।

13- पात्रता –

- 1 “शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।”
- 1.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिये।
- 1.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की हो।
- 2 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रेक्टिस करने के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये।
- 2.1 पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विज्ञापन में अंकित आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।

14 – परीक्षा

(1) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु, एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी।

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी नियमावली अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का चयन पूर्णतः लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित 100 अंकों की मेरिट इण्डेक्स में प्राप्त अंतिम वरीयता सूचकांक के आधार पर किया जावेगा।

प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 अंकों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी।

(3) एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

(4) एक प्रश्नपत्र दो घंटे का होगा। प्रश्नपत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(5) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए एक अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिये दिया जावेगा। गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिया जायेगा।

(6) परीक्षा बी.ए.एम.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(7) प्रवेश की योग्यता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक एवं आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेशित विषय का परिवर्तन प्रवेश तिथि से दो माह तक इस शर्त पर स्वीकार्य होगा कि वांछित विषय में सीट एवं मार्गदर्शक (गाईड) की उपलब्धता हो।

(8) सेवारत अभ्यर्थी भी एम.डी./एम.एस (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2016 के आधार पर चयनित किये जायेंगे। सेवारत अभ्यर्थियों को एम.डी./एम.एस (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2016 प्रवेश परीक्षा के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने होंगे। सफल सेवारत अभ्यर्थियों की एक प्रथक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

15- परीक्षाफल की घोषणा -

एम.पी. ऑनलाईन, परीक्षा संचालित करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा, योग्यता सूची तैयार करेगा तथा परीक्षाफल घोषित करेगा। विषय/पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी को स्थान का आवंटन ऑनलाईन काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा।

16 - योग्यता सूची -

(1) अनारक्षित श्रेणी की एक योग्यता (मेरिट) सूची घोषित की जावेगी, जिसमें सभी सफल अभ्यर्थी शामिल किए जावेंगे, जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

(2) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के उन सभी अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक मेरिट सूची जारी की जावेगी, जिन्होंने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

(3) सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियों में विकलांग अभ्यर्थी अपनी मेरिट के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे।

(4) विकलांग अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूचियाँ भी तैयार की जाएगी।

(5) सूचियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।

17 पारस्परिक योग्यता (मेरिट) -

उस दशा में जब दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को पारस्परिक योग्यता (मेरिट) में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

18 – काउंसिलिंग – सीट आवंटन

18.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे।

18.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरुस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

18.3 रजिस्ट्रेशन –

रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा। जिसकी रसीद दी जावेगी। (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा।) आवेदक को अपनी जानकारी सही-सही दर्ज करानी होगी। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि0 नं0 एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।

18.4 अभिलेख सत्यापन-

आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप-1 पर) कराना होगा-

- 1 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
- 2 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर
- 3 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
- 4 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
- 5 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
- 6 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन

18.5 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है।

18.6 अभिलेख सत्यापन –

अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा। सत्यापन निःशुल्क होगा।

18.7 संस्था का चयन –

आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा। जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा)। इस राशि की रसीद दी जावेगी,

जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/- रुपये शुल्क देना होगा।

18.8 अलाटमेंट -

आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर प्री - पी.जी. परीक्षा का रोल नं०, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है।

18.9 रिपोर्टिंग -

आवेदक को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना रोल नं० एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।

19 - प्रवेश -

अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

19.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा पात्र पाये जाने पर उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी।

19.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे।

19.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन / प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

19.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे।

19.5 सीट लीविंग बॉण्ड - प्रत्येक उम्मीदवार जिनका प्रवेश शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में हुआ है, को प्रवेश के समय रु. 05.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) का बॉण्ड (प्रारूप अनुसार) भरना होगा। अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी - भी प्रवेश निरस्त कराने पर बॉण्ड की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

20 - अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की अंतिम तिथि 01 नवंबर से बाद नहीं होगी। किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश वर्ष के 31 अक्टूबर (CCIM निर्देशानुसार) तक ही दिया जा सकेगा।

20.1 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम -

- 1 - प्रथम काउंसिलिंग की तिथि - परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोषित की जायेगी
- 2 - सत्रारंभ तिथि - बाद में घोषित की जायेगी (जो एक नवंबर के बाद नहीं होगी)
- 3 - द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग - सीट रिक्त रहने की स्थिति में घोषित की जायेगी
- 4 - किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि - 31 अक्टूबर

टिप्पणी -

- 1 - नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार आनलाईन काउंसिलिंग का विस्तृत

कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। साथ ही संचालनालय आयुष, म.प्र. की बेबसाईट www.mp.gov.in/Ayush पर भी सूचित किया जावेगा।

2 - यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

20.2 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा।

21 - नियमों का स्पष्टीकरण -

किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

22- निरसन तथा व्यावृत्ति :-

इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

AYUSH DEPARTMENT MADHYA PRADESH

PRIVATE AYURVEDA COLLEGES

Distribution of Seats for the PG Courses M.D. (Ayurveda)/M.S. (Ayurveda) 100% State Quota
25% In Service, 75% OPEN

S. No.	Subjects	Name of College											GRAND TOTAL														
		RANI DULAIYA SMRITI AYURVED					SHUBHDEEP AYURVEDA COLLEGE					PT. SHIVSHAKTI LAL AYURVEDA					UR	ST	SC	OBC	TOTAL						
In-Service 25%		UR	ST	SC	OBC	TOTAL	In-Service 25%		UR	ST	SC	OBC	TOTAL	In-Service 25%		UR						ST	SC	OBC	TOTAL		
		OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F	OP	F						
1	AGADYANTRA	2	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
2	DRAVYAGUNA	1	1+1*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	KAUMARBHRITYA	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	KAYACHIKITSA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	11
5	RACHNA SHARIR	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	PANCHKARMA RAS SHATRA AVAM BHAISHJAY KALPNA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	16
7		1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	1*	1	0	0	0	0	0	0	0	10
8	ROG NIDAN AVAM VIKRTI VIGYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9	AYURVEDA SANHITA SIDHANTA	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	16
10	SHALYA TANTRA	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11	SWASTHYA VIRTA	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	GRAND TOTAL	11	12	5	5	2	3	2	4	1	4	1	1	1	25	6	7	3	3	1	2	1	1	1	1	18	88

Note No of seats are changable
*Seats Reserved for Physically Handicapped

		AYUSH DEPARTMENT MADHYA PRADESH																							
		GOVERNMENT AYURVEDA COLLEGES																							
		Distribution of Seats for the PG Courses M.D. (Ayurveda)/M.S. (Ayurveda)																							
S. No.	COLLEGE NAME	SUBJECT	75% OPEN												GRAND TOTAL										
			25% In Service Quota						UR																
			UR		SC		ST		OBC		Total		UR		SC		ST		OBC		GRAND TOTAL				
			O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	OP	F	O	F	O	F	O	F		Tota			
1		DRAVYAGUNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5
		PANCHKARMA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5
		RACHNA SHARIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1+1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	6
		RAS SHATRA AVAM BHAI SHJAY KALPNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	5
		ROG NIDAN AVAM VIKRTI VIGYAN	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6
		SWASTHYA VIRTA Sanhita Siddhant	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
2		GOVERNMENT AYURVEDA COLLEGE REWA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
3		GRAND TOTAL	4	1	1	1	1	1	1	1	0	9	9+1	4	14	3	1	4	3	2	5	3	1	4	36

Note: No. of seats are changeable

* Seats Reserved for Physically Handicapped

प्रारूप - 1

नियम-18.4

प्रमाण पत्र, अभिलेखों की स्कुटनी कॉउसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा भलीभांति पढकर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूँ।

कॉउसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए—

1. प्रवेश परीक्षा 2016 का रोल नं. :
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक :
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक :
4. पूरा नाम :
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :
- पता :
- टेली./ मो. नं. :
- 6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) :
- 6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी/विकलांग/महिला/ओपन) :
7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें।

1. प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची।
2. स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची। (समस्त)
3. इंटन इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
4. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
5. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र।

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority
----------	-----------	------	-------	-------------------

- | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. <input type="checkbox"/> | जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची। DD MM YYYY | | | |

--	--	--

7. चरित्र प्रमाणपत्र ।

8. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

No. Dt. of issue Place Issuing Authority

--	--	--	--

9. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.

10. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। ()

11. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

पूरा नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक

स्कूटनी (सूक्ष्म जांच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1-11) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

सदस्य स्कूटनी समिति

(नाम पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों
..... से कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति

(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

प्रारूप-1-अ**शपथ पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी.....
 आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन
 काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों
 का पालन करूँगा/करूँगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

2. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....

प्रवेशार्थि
फोटो

गैर सेवारत अभ्यर्थियोंसीट लीविंग बॉर्ड

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉर्ड का प्रारूप

- 1 - मै, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सा
महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2016 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
(2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2016 में एम.डी.(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 05.00 लाख (कुल पाँच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।
(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1
2

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की
वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :- 1
2

प्रवेशार्थि
फोटो

सेवारत अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष की सेवा बॉण्ड

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले 05 वर्ष की सेवा बॉण्ड का प्रारूप

- 1 - मै, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सा
महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2016 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- (अ) यह कि आयुर्वेद चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्देशित क्षेत्रों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/ करूंगा।
- (ब) यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।
- (स) मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ -
- (1) यह कि म.प्र. शासन द्वारा समय - समय पर दिये जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।
- (2) यह कि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में शासन को स्नातकोत्तर डिग्री हेतु रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता
- (द) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1
2

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की
वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :- 1